न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 14/18 ई.सी.एक्ट अपील

श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री खेताराम जाति नाई निवासी ग्रांधी, तहसील कोलायत जिला बीकानेर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम ग्रान्धी तहसील कोलायत, जिला बीकानेर

–अपीलान्ट

: ब ना म :

जिला रसद अधिकारी,बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौधरी उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 13.03.19

1. अपीलान्ट द्वारा यह **अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976** के तहत दिनांक 01.06.17 व 06.03.17 को रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार–पत्र निलम्बित किये जाने के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके कार्यालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय अदालत मातहत द्वारा Judicial mind apply किये बिना की गई इकतरफा तौर पर Without reasoning अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से पारित किया गया है, जो कि Non speaking order की तारीफ में आता है। वकील अपीलान्ट की यह भी बहस है कि दिनांक 01.06.17 को अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जिसमें ग्रामवासियो की शिकायत से अनियमितता बरतना एवं विभागीय दिशा निर्देशो की अवेहलना करना बताया गया। अपीलार्थी को नोटिस तामील हुए बिना रेस्पोडेण्ट ने प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत काल्पनिक है। राशनकार्ड धारको के नंबर गलत है। दिनांक 08.03.18 को नायब तहसीलदार, बज्जु द्वारा कोई जांच नहीं की गई। अपीलार्थी को मौका दिया जाता तो साक्ष्य सहित जवाब पेश करता । समस्त रिकार्ड ऑन लाईन प्रदर्शित है जिसमे किसी प्रकार की गड़बड़ी किया जाना संभव नहीं है। विभागीय परिपत्रों के अनुसार डिपो निलम्बित करने के पश्चात तीन माह की अवधि में निर्णय लेना होता है किन्तु एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं लिया गया । अतः आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट के विभागीय प्रतिनिधि प्रवर्तन निरीक्षक ने लिखित बहस के बिन्दूओ दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जन प्रतिनिधि ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 01.06.17 को राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। नायब तहसीलदार, बज्जु द्वारा भी प्रकरण में जांच की गई । उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में भी प्रकरण विचाराधीन रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताऐं किये जाने के कारण राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त 8 के तहत दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। समस्त कार्यवाही विधिसम्मत रूप से की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षक करने पर राशन सामग्री में अनियमितता पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र दिनांक 01.06.17 को निलम्बित किया गया है। विभागीय प्रकरण सं. 22/17 में पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधि सम्मत निर्णय लिया गया है जिसकी रिकार्ड के आधार पर पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निग्रय दिनांक 01.06.17 व 03.06.18 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक **01.06.17 व 03.06.18** जिसकी रूह से अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मुल पत्रावली के जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक **13.03.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर